

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर)–848125, बिहार

पत्रांक— 14/स्था०/उपकुल०/01/2023/440/रा.प्र.के.कृ.वि.,पूसा

दिनांक 13/01/2026

प्रेषक,

उप कुलसचिव. (स्थापना)

सेवा में,

सभी अधिष्ठाता/सभी निदेशक/कुलसचिव/
नियंत्रक/सभी विभाग प्रधान/कार्यालय प्रधान/
सभी नियंत्री एवं प्रभारी पदाधिकारी/सभी उप कुलसचिव/
विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/
अधीक्षक, केन्द्रीय कर्मशाला/सुरक्षा पदाधिकारी/सम्पदा पदाधिकारी,
रा०प्र०के०कृ०वि०, पूसा।

विषय— विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर (अतकनीकी) कर्मचारियों को देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/
रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकेत्तर
(अतकनीकी) कर्मचारी, जिनका सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अथवा रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन **माह
दिसम्बर, 2025** तक देय है, उनके प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से **30
(तीस) दिनों** के भीतर संलग्न विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की
जाय। प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएँ—

1. संबंधित कर्मचारी की अद्यतन मूल सेवा पुस्तिका।
2. प्रस्तावित वृत्ति उन्नयन अवधि का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR/APAR)।
3. वृत्ति उन्नयन के अंतिम वर्ष का ए०आई०पी०आर० (AIPR)।

सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के मामलों में, संबंधित कर्मि जिस महाविद्यालय/विभाग से
सेवानिवृत्त अथवा मृत हुए हों, उनका प्रस्ताव उसी महाविद्यालय/विभाग द्वारा उक्त अभिलेख सहित
(यदि लागू हो) उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा, किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्णता अथवा विलंब की
पूर्ण जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय/विभाग के नियंत्री पदाधिकारी की होगी।

अनु०— विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

सतीश कुमार सिंह
13/01/2026

उप कुलसचिव (स्थापना)
रा.प्र.के.कृ.वि.,पूसा।

प्रतिलिपि—

1. प्रभारी पदाधिकारी, ई—गवर्नेंस सेल, रा०प्र०के०कृ०वि०, पूसा से अनुरोध है कि इस पत्र के साथ
संलग्न प्रपत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही इसे विश्वविद्यालय
की ई—सूचनापट्ट पर पत्र सहित प्रचारित किया जाय।
2. सभी सहायक/कार्यवाहक सहायक, स्थापना शाखा (मुख्यालय), रा०प्र०के०कृ०वि०, पूसा को प्रपत्र
के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

विभाग / कार्यालय / महाविद्यालय का नाम :-

विभाग/कार्यालय/महाविद्यालय का नाम :- सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (सु0वृ0उ0)/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (रू0सु0वृ0उ0) योजना के तहत वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

[illegible]

यह प्रस्ताव संबंधित कर्मचारियों की सेवा अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है।

कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-
पदनाम:-
कार्यालय:-